न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–640 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00832)

1. भजनलाल पुत्र शादीलाल, जाति हरिजन निवासी रोनीजा, तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान

––अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र गणपतसिंह जाति यादव,
2. धर्मवीर पुत्र गणपतसिंह जाति यादव,
3. मोहरसिंह पुत्र गणपतसिंह, जाति यादव निवासीयान रोनीजा तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान

––असल रेस्पोडेन्ट

4. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये चैयरमैन उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास, जिला अलवर

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जर्नादन शर्म एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 08.06.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2005 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन दिनांक 15.08.1975 को भूमि विवादग्रस्त चारागाह थी जिसका चारागाह से सिवायचक किस्म परिवर्तन दिनांक 10.10.1975 को होना मानकर आवंटन को निरस्त करने में भारी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आदेश से पटवारी हल्का द्वारा किस्म परिवर्तन की रिपोर्ट नामान्तरकरण पर की उस दिनांक को किस्म परिवर्तन आदेश मानने में भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निवेदन किया जा चुका था कि रेस्पोडेन्ट को किस्म परिवर्तन का आदेश प्रस्तुत करना चहिये था उसके आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही किया गया एवं बिना किस्म परिवर्तन आदेश के मात्र रिपोर्ट दिनांक 10.10.1975 को किस्म परिवर्तन आदेश मानकर निर्णय देने में भरी भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दू पर कि दस साल बाद आलोटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तथा आवंटन खारिज नही हो सकता इस बिन्दु पर 1997 आर आर डी 195

P.T.O.

नजीर पेश की लेकिन उन पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस दृष्टिकोण से भी विचार नही किया कि भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये है तथा पुनः उसका आवंटन होना है ऐसी सूरत में भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर पूर्व के आवंटन को ही बरकरार रखना चाहिये था किन्तु उक्त तथ्यों पर भी बिना गौर किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2002 पारित किया है जो निरसतनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2005 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 259, 382/426, 216, 217 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा वाके रोनीजा अपीलार्थी को दिनांक 15.08.1975 को कैम्प कोटकासिम में आवंटन की गई थी जो आवंटन नियम विरूद्ध बिना किसी नोटिस व सूचना जारी किये ही बाला–बाला अपीलार्थी को आवंटन किया गया जबकि कानूनन अपीलार्थी उक्त आवंटन करवाने का अधिकारी ही नही था क्योंकि यह भूमि वक्त आवंटन पड़त नही थी बल्कि भूमि पर रेस्पोडेन्ट के बुर्जगाने का कब्जा था तथा अपीलार्थी का आराजी मुतनाजा पर कभी भी कब्जा नही रहा और वक्त आवंटन के बाद भी कभी कब्जा नही दिया गया, नियमानुसार पड़त भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है कब्जे की भूमि का आवंटन नही किया जा सकता किन्तु बिना मौका देखे एवं रेस्पोडेन्ट को बिना नोटिस जारी किये ही आवंटन कमेटी ने विधि विरूद्ध आवंटन किया है जो निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी भूमिहीन काश्तकार नही था क्योंकि जमाबन्दी खलीलपुरी से यह साबित होता है कि भजनलाल आवंटी के नाम जमीन है और गलत तथ्य प्रस्तत कर अपीलार्थी ने आवंटन कराया जो निरस्त योग्य था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2005 विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में होना नही माना है तथा रेस्पोडेन्ट के भूमि खाली नही होने के तर्क को भी अधीनस्थ न्यायालय ने बलहीन माना है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के भूमिहीन होने के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई ठोस दस्तावेजात पेश नही होना माना है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 15.08.1975 के आवंटन को सिर्फ दिनांक 10.10.1975 को भूमि का चारागाह से सिवायचक का नामान्तरकरण आवंटन के बाद का होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण जिला कलक्टर के पूर्व किस्म परिवर्तन के आदेश के अनुसरण में स्वीकार

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

किया गया है। यदपि जिला कलक्टर का किस्म परिवर्तन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नही है एवं आदेश का क्रमांक व दिनांक इत्यादि का अंकन नामान्तरकरण पर अंकित नही है ऐसी परिस्थिति में जब जिला कलक्टर का मूल आदेश पत्रावली पर उपलब्ध ही नही है तब तक यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता कि आवंटन के समय उक्त भूमि चारागाह थी। यह तथ्य सर्वविदित है कि किसी भी आदेश के पश्चात् ही नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार होने की कार्यवाही होती है जिसमें किसी प्रकार की देरी होने से इन्कार नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के किस्म परिवर्तन सम्बन्धी आदेश की अनुपलब्धता/अभाव में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2005 को उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2005 को. निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जिला कलक्टर का किस्म परिवर्तन मूल आदेश प्राप्त कर आदेश को रिकार्ड पर लिया जाकर उसके सम्बन्ध में विस्तृत जॉच कर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

8/6/23
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।